#shahjahanpurpol

प्रेस नोट-सराहनीय कार्य दिनांक 08.09.23

"थाना मदनापुर पुलिस ने लूट की झूठी सूचना देने की घटना का किया खुलासा, शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, दो लाख नवासी हजार सौ रूपये की नगदी बरामद"

श्री अशोक कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के कुशल निर्देशन मे श्री सुधीर जायसवाल, अपर पुलिस अधीक्षक नगर व श्री अमित चौरसिया, क्षेत्राधिकारी सदर के कुशल प्रयवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक थाना मदनापुर श्री संतोष कुमार के नेतृत्व मे थाना मदनापुर पुलिस द्वारा दिनांक 07/09/2023 को झूठी लूट की सूचना का खुलासा करते हुये रामनरेश पुत्र डोरीलाल निवासी ग्राम जरौतली मौसमपुर थाना हजरतपुर जिला बदायूँ को किया गिरफ्तार जिसकी निशादेही पर उसके घर से 2,89,100 रुपये बरामद किये गये।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1- राम नरेश पुत्र डोरीलाल निवासी जरतौली मोसमपुर थाना हजरतपुर बदायूँ।

बरामदगी का विवरणः-

1- दो लाख नवासी हजार सौ रूपये नगद। (2,89,100 /-) रुपये

घटनाक्रमः-

दिनांक 06/07.09.23 की रात्रि मदनापुर पुलिस शान्ति व्यवस्था एवं चेकिंग संदिग्ध व्यक्तिय वाहन तथा जन्माष्टमी त्यौहार भ्रमण भ्रमण शान्ति व्यवस्था डियूटी मे अन्दर क्षेत्र चौकी बरूआ मे मामूर थे रात्रि करीब 01.30 बजे पर सूचनाकर्ता राम नरेश पुत्र डोरीलाल निवासी जरतौली मौसमपुर थाना हजरतपुर जिला बदाँयू ने सूचना दी कि वह अपनी मोटर साइकिल यू0पी0 24 ए0एस0 4885 से ग्राम कुडरा फरीदपुर से अपने घर जाते समय सहोरा पुलिया पर तीन अज्ञात व्यक्तियो द्वारा उसकी पीठ पर टंगा बैग छीनकर बैग मे रखे तीन लाख दो हजार रूपये लेकर खेतो की तरफ भाग जाने के सम्बन्ध मे सूचना दी।

सूचना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना मदनापुर पुलिस द्वारा घटना स्थल के आस पास खेत की रखवाली करने वाले लोगो से पूछताछ मे बताया कि हम शाम से ही खेते की रखवाली कर रहे है, यहाँ पर किसी के साथ कोई लूट नही हुई है। तदोपरांत सूचनाकर्ता से पूछा गया तो इघर उधर घुमाता रहा तथा कोई भी सन्तोष जनक बात नही बतायी तो सूचनाकर्ता से कडाई से पूछताछ करने पर लूट की झूठी सूचना देने की बात स्वीकार की गयी। इस सम्बन्ध मे थाना मदनापुर पर मु0अ0सं0 454/23 धारा 195/420/406 भादवि पंजीकृत कर नियुमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ बताया कि मेरे साथ कोई लूट की घटना नही हुई है सूरजपाल पुत्र जय नारायण निवासी ग्राम शेखूपुर महेदवा थाना अमापुर जिला कासंगज जो भट्टे पर लेवर का ठेकेदारी का काम करता है मै उसके साथ 03-04 बार काम कर चुका हूँ तथा पूर्व मे भी कार्य हेतु श्रमिक उपलब्ध कराये है। इस कारण उसने मुझे लेवर को देने के लिए 03 लाख रूपये दिये थे जो मेरे घर पर रखे है। मैने किसी लेवर को नही दिये है तथा मेरे मन मे लालच आ गया इस लिए मैने लूट की घटना मनगढंत तरीके से बनायी जिससे ठेकेदार को कह सकूं कि रूपये लूट गये और मै इन रूपयो को हडप लूँगा तथा बताया कि वह रूपये मैने प्लास्टिक के डिब्बे मे रखकर अपने मकान की दीवार के किनारे जमान मे गाड दिये है। निशानदेही पर मकान के बाहर दक्षिणी दीवार के किनारे जमान मे पास मे रखे फाबडे से खोद कर एक प्लास्टिक का डिब्बा निकाला जिसमे से कुल बरामद रूपये 289100 रूपये है बरामद किये गये। अभियुक्त ने बताया कि शेष रूपये उसने खर्च

कर लिये है। सूचनाकर्ता रामनरेश उपरोक्त उसके जुर्म धारा 195/420/406 भा0द0वि0 अवगत कराते हुए हिरासत/कब्जे पुलिस मे समय करीब 16.10 बजे लिया गया। अभि0 के विरूद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>पंजीकृत अभियोगः-</u>

1- मु0अ0स0 454/23 धारा 195/420/406 भादवि

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-</u>

1. उ0नि0 रामकिशोर सिंह थाना मदनापुर जिला शाहजहांपुर।
2. का0 प्रशान्त थाना मदनापुर जिला शाहजहांपुर।
3. का0 हरिओम थाना मदनापुर जिला शाहजहांपुर।
4. का0 राम अशीष थाना मदनापुर जिला शाहजहांपुर।
5. म0का0 अंकिता थाना मदनापुर जिला शाहजहांपुर।